



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221988
CG-DL-E-25092020-221988

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2945]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/ आश्विन 3, 1942
No. 2945]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ ASVINA 3, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3294(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 584 तारीख 15 अप्रैल 2019, जो भारत के राजपत्र संख्या 16 तारीख 14-20 अप्रैल 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर – हल्दिया प्रॉडक्ट पाइपलाइन पारियोजना”, तहसील- रेमुना, जिला-बालासोर में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26.06.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.						
पारादीप— सोमनाथपुर हल्दिया पाइपलाईन परियोजना						
6(1) अनुसूची						
जिला : बालासोर				राज्य : ओडिशा		
क्र.सं.	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	कुल अधिग्रहित क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रेमुना	पादाबदगान	3284	00	00	37
			3283	00	01	44
			3236	00	15	30
			3233	00	03	13
			3610	00	00	01
			3197	00	02	93
			3195	00	04	13
			3193	00	02	96
			3191	00	06	61
			3190	00	06	39

[फा. सं. आर-11025 (11)/2/2019-ओआर-I/ई-29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3294(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 584 dated 15th April, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no 16 on 14th-20th April, 2019, Part- II, Section 3, Sub-Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip-Somnathpur-Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Remuna Tehsil of Balasore District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 26.06.2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Indian Oil Corporation Limited						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PRODUCT PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE of 6(1)						
DISTRICT : BALASORE				STATE: ODISHA		
S.NO.	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	REMUNA	PADABADGAN	3284	00	00	37
			3283	00	01	44
			3236	00	15	30
			3233	00	03	13
			3610	00	00	01
			3197	00	02	93
			3195	00	04	13
			3193	00	02	96

			3191	00	06	61
			3190	00	06	39

[F. No. R-11025(11)/2/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3295(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 642(अ) तारीख 07 फरवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र संख्या 586 तारीख 11 फरवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दिया प्राइवेट पाइपलाइन परियोजना”, तहसील- रेमुना, जिला-बालासोर में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26.02.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थीं,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दिया प्रॉडक्ट पाइपलाइन परियोजना						
6(1) अनुसूची						
जिला-	बालासोर	राज्य :- ओडिशा				
क्र.सं	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रेमुना	बनगरगन-128	1	00	07	42
			4	00	07	98
			5	00	02	90
			6	00	03	04
			7	00	05	24
			8	00	03	74
			11	00	08	24
2	रेमुना	गोरपुर-127	1553	00	10	66
			1554	00	10	56
			1555	00	00	35
			1581	00	11	66
			1578	00	01	84
			1579	00	02	06
			1571	00	04	51
			1572	00	02	05
			1570	00	03	33
			1569	00	02	66
			1562	00	00	23
			1568	00	04	45
			1567	00	03	50
			1566	00	03	16
			1418	00	05	04
			1735	00	04	90
			1416	00	16	74
			1414	00	00	05
			1413	00	08	60
			1392	00	04	35

	रेमुना	गोरपुर-127	1393	00	01	60
			1394	00	05	07
			1410	00	03	06
			1409	00	12	95
			1408	00	02	91
			1407	00	00	88
			1406	00	07	16
			1370	00	06	76
			1371	00	04	75
			1372	00	07	77
			1373	00	00	81
3	रेमुना	गोरपुर समिल पुरषोत्तमपुर- 103	117	00	12	58
4	रेमुना	गनीपुर-100	1317	00	01	77
			1318	00	10	76
			1319	00	05	34
			1320	00	00	05
			1321	00	00	89
			1313	00	01	80
			1296	00	00	60
			1297	00	00	54
			1299	00	00	79
			1300	00	00	78
			1301	00	02	70
			1303	00	02	83
			1305	00	07	06
			1304	00	00	16
			1306	00	14	38
			1307	00	09	26
			1266	00	00	83
			1267	00	12	17
			1268	00	03	86
			1/1394	00	06	49

5	रेमुना	अरमाला-122	968	00	06	45
			966	00	10	22
			964	00	03	90
			965	00	12	59
			863	00	15	85
			869	00	01	26
			872	00	08	05
			876	00	03	91
			877	00	04	20
			878	00	02	14
			881	00	00	16
			884	00	03	71
			885	00	05	42
			886	00	03	40
			891	00	00	45
			889	00	00	03
			842	00	00	21
6	रेमुना	चुनुगान-30	27	00	04	31
			28	00	06	42
			253	00	05	43
			252	00	00	51
			166	00	00	52
			207	00	10	98
7	रेमुना	पादाबदगान-44	3038	00	05	10
			3039	00	00	55
			3040	00	01	09
			3041	00	05	76
			3042	00	06	72
			3043	00	01	66
			3047	00	08	00
			3045	00	00	93
			3046	00	09	17
			3052	00	00	86
			3120	00	11	16

	रेमुना	पादाबदगान-44	3116	00	08	88
			3117	00	03	55
			3223	00	06	53
			3224/3527	00	07	33
			3224	00	12	58
			3226	00	06	25
			3227	00	02	82
			3228	00	03	42
			3229	00	00	92
			3230	00	01	36
			3185/3504	00	02	66
			3192	00	01	54
8	रेमुना	श्रीजंग - 308	1852	00	14	56
9	रेमुना	रायनगर - 99	25	00	01	91
10	रेमुना	ब्रम्हानछदा - 51	585	00	02	33

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओआर-I/ई-29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3295(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 642(E) dated 07th February, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no 586 on 11th February, 2020, Part- II, Section 3, Sub-Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip-Somnathpur-Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Remuna Tehsil of Balasore District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 26.02.2020;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central

Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Indian Oil Corporation Limited						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PRODUCT PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE of 6(1)						
DISTRICT :BALASORE				STATE: ODISHA		
S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	REMUNA	BANGARGAN-128	1	00	07	42
			4	00	07	98
			5	00	02	90
			6	00	03	04
			7	00	05	24
			8	00	03	74
			11	00	08	24
2	REMUNA	GOURPUR-127	1553	00	10	66
			1554	00	10	56
			1555	00	00	35
			1581	00	11	66
			1578	00	01	84
			1579	00	02	06
			1571	00	04	51
			1572	00	02	05
			1570	00	03	33
			1569	00	02	66
			1562	00	00	23
			1568	00	04	45
			1567	00	03	50
			1566	00	03	16
			1418	00	05	04
			1735	00	04	90
			1416	00	16	74
			1414	00	00	05
			1413	00	08	60
			1392	00	04	35
			1393	00	01	60
			1394	00	05	07
			1410	00	03	06

	REMUNA	GOURPUR-127	1409	00	12	95
			1408	00	02	91
			1407	00	00	88
			1406	00	07	16
			1370	00	06	76
			1371	00	04	75
			1372	00	07	77
			1373	00	00	81
3	REMUNA	GOURPUR SAMIL PURUSOTTAMPUR-103	117	00	12	58
4	REMUNA	GANIPUR-100	1317	00	01	77
			1318	00	10	76
			1319	00	05	34
			1320	00	00	05
			1321	00	00	89
			1313	00	01	80
			1296	00	00	60
			1297	00	00	54
			1299	00	00	79
			1300	00	00	78
			1301	00	02	70
			1303	00	02	83
			1305	00	07	06
			1304	00	00	16
			1306	00	14	38
			1307	00	09	26
			1266	00	00	83
			1267	00	12	17
			1268	00	03	86
			1/1394	00	06	49
5	REMUNA	ARMALA-122	968	00	06	45
			966	00	10	22
			964	00	03	90
			965	00	12	59
			863	00	15	85
			869	00	01	26
			872	00	08	05
			876	00	03	91
			877	00	04	20
			878	00	02	14
			881	00	00	16
			884	00	03	71

	REMUNA	ARMALA-122	885	00	05	42
			886	00	03	40
			891	00	00	45
			889	00	00	03
			842	00	00	21
6	REMUNA	CHUNUGAN-30	27	00	04	31
			28	00	06	42
			253	00	05	43
			252	00	00	51
			166	00	00	52
			207	00	10	98
7	REMUNA	PADABADGAN-44	3038	00	05	10
			3039	00	00	55
			3040	00	01	09
			3041	00	05	76
			3042	00	06	72
			3043	00	01	66
			3047	00	08	00
			3045	00	00	93
			3046	00	09	17
			3052	00	00	86
			3120	00	11	16
			3116	00	08	88
			3117	00	03	55
			3223	00	06	53
			3224/3527	00	07	33
			3224	00	12	58
			3226	00	06	25
			3227	00	02	82
			3228	00	03	42
			3229	00	00	92
			3230	00	01	36
			3185/3504	00	02	66
			3192	00	01	54

8	REMUNA	SRIJANG-308	1852	00	14	56
9	REMUNA	RAINAGAR-99	25	00	01	91
10	REMUNA	BRAMAHANCHHADA-51	585	00	02	33

[F. No. R-11025(11)/2/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.